

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

जनजातीय समाज में पृथक्कर (एक सामाज शास्त्रीय विवेचन)

डॉ. झबूराम वर्मा

सह आचार्य समाजशास्त्र

स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय

स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाँदीकुई

जैसा कि शीर्षक है जनजातियों की सामाजिक संरचना (सामाजिक संस्कृतिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में) जनजातीय समाज की संरचना को समझना अर्थात इस समाज की संरचना के स्वरूप को समझना जिसमें इन जातियों की सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थिति को समझना एवं चिन्तन करना है। जनजातियों के सामाजिक सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। वास्तव में पृथक्करण के कारण जनजाति देश की मुख्यधारा से पृथक रहे हैं और इस कारण सभ्यता का जो स्वर उनमें आना चाहिए वह नहीं है। यह सब होते हुए भी कुछ विशेष बातें जनजातियों के साथ रही हैं पृथक्करण तो उनमें था ही लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव भी था और आवागमन के साधनों के बिना वे मुख्यधारा से कटे हुए थे ऐसी अवस्था में अब उनके लिए यह लालसा तो थी कि वे मुख्यधारा में आये प्रजातंत्र की राजनीति में भाग लेवे पूँजीवादी का लाभ को उठाये शिक्षा तथा यंत्रीकरण को अपनाये उन्होंने यह समझ लिया कि उनमें जो पिछड़ापन है जो बर्बरता है जो बहुपत्ति विवाह है वह सब जाना चाहिए उन्हें भी शिक्षा के माध्यम से अपने आपको आगे बढ़ना चाहिए ऐसे पिछड़े वर्ग में सुधार कर काम धर्म के माध्यम से हो सकता है इस बात को सुधारकों ने अच्छी तरह समझ लिया था। मामा बालेश्वर दयाल मूलतः आर्य समाजी थे लेकिन वे चाहते थे कि धर्म के माध्यम से जनजातियों में सुधार लाना चाहिए। मामा बालेश्वर दयाल भील स्त्रियों के भाई थे और सभी पुरुषों के लिए वे मामा थे। वास्तव में उनका नाम बालेश्वर था लेकिन जनजातियों ने उन्हें मामा बना दिया यहाँ एक बात

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

और कहनी चाहिए और वह यह कि जनजातियों में नातेदारी बहुत बड़ा जुड़ाव है जब एक बार कोई व्यक्ति नातेदार बन जाता है तब जनजाति उसे जीवनपर्यन्त अपना नातेदार मानता है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब राज्यों का पुनः निर्माण भाषा के आधार पर होने लग गया है तब जनजाति भी यह सोचने लगे हैं कि उन्हें भी पृथक राज्य बनाना चाहिए। जब नागाओं का नागालैण्ड बन गया है तब का भीलेंड क्यों नहीं बन सकता समाज सुधारकों के सामने सबसे बड़ी चुनौति यही रही है वे जानते हैं कि यदि जनजातियों को हिन्दु बना दिया जायेगा तब भीलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। यह तो राज्य ने अभी इन्हें अनुसूचित जनजाति की पहचान दे दी है तब इन्हें यदि हिन्दु बना दिया गया तो भील की तरह जो उनकी पहचान है वह समाप्त हो जायेगी। देखा जाये तो जनजाति समाज सुधारकों के सामने बहुत बड़ी समस्या धर्म की नहीं है और सरकार के सामने भी जनजातियों को लेकर धर्म की कोई चिन्ता नहीं है। राज्य तो समझता है कि प्रत्येक का अपना निजी धर्म है और वह जैसे चाहे वैसे उसको मनाये समस्या तो स्वयं भीलों की है और यही भील सुधारकों के सामने समस्या है।

भील सुधारक चाहे गुरु हो या मामा बालेश्वर दयाल स्वयं जनजाति नहीं थे। इसी भाँति मावजी महाराज तो विशुद्ध रूप से एक साधु-महात्मा थे जो धर्मगुरु की तरह जनजातियों में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है वे समाज सुधारक और गुरु या महात्मा में अंतर नहीं करते उदाहरण के लिए मावजी महाराज वास्तव में वे धार्मिक गुरु थे। वे हरिहर धाम के प्रणेता थे और इसी की गुण गाथा में अपना समय गुजरते थे जनजातियों के लिए वे पूजनीय इसलिए बन गये कि धर्म के साथ में समाज सुधार को भी जोड़ देते थे। जहाँ वे राम और कृष्ण की चर्चा करते थे वहीं वे यह भी मानते थे कि जनजातियों में जब वे बेणेश्वर धाम (झूंगरपुर जिला) के संगम पर पहुँचते हैं तब वे मावजी महाराज को जहाँ अपना धर्मगुरु मानते हैं वही उसे अपना समाज सुधारक भी मानते हैं। जनजाति धर्म और समाज सुधारक एक इकाई मानकर चलते हैं इसी कारण उनके समाज सुधारक धर्मगुरु भी है।

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

जनजातियों के जो धर्म गुरु या समाज सुधारक हैं उन सबका उद्देश्य जनजातियों को देश की मुख्यधारा में लाने का है। जब हम मामा बालेश्वर दयाल या गोविन्द गुरु की चर्चा करते हैं जो ये केवल संत या फकीर नहीं थे इनका उद्देश्य जनजाति को देश की मुख्यधारा में लाने का था। 1960 की बात है देश में राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा हो रही थी यह पुनर्गठन भाषा के आधार पर था देखा जाये तो जनजातियों की भाषा भीली भाषा नहीं है भाषा और बोली में अंतर होता है भाषा में व्याकरण होती है और बोली स्वतंत्र होती है इसी कारण कहते हैं कि हर बाहर चंवो के बाद बोली बदल जाती है भाषा नहीं बदल पाती जनजातियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनकी बोली अर्थात् भोली त प्रायः हो रही है। ऐसा देखा गया है कि वे आदिवासी जो थोड़ा बहुत पढ़ गये हैं या गैर जनजातियों के सम्पर्क में आकर अपनी बोली को नहीं बोलते हैं उनके सामने बड़ी समस्या है।

आज जनजाति की जो नई पीढ़ी आ रही है वह स्थानीय भाषा बोलती है। या खड़ी बोली बोलती है ऐसा समझा जाने लगा है कि भीली बोली को बोलना पिछड़ेपन की अभिव्यक्ति है। इसी कारण नई पीढ़ी के भील अपनी बोली को नहीं बोलते और ये खड़ी बोली में बात करते हैं वास्तविकता यह है कि कस्बे और शहरों में लोग खड़ी बोली बोलते हैं और उनके साथ अन्त क्रिया करते हुए जनजाति भी खड़ी बोली बोलने लग गये हैं।

आज जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। इसमें हिन्दी और अंग्रेजी भाषाएँ प्रमुख भाषा होती जा रही है ऐसी अवस्था में स्थानीय भाषाएँ बागडी, मेवाती मारवाडी धौलपुर की बुन्देलखण्डी लुप्त होने के कगार पर है इधर ब्रजभाषा भी ब्रज से बाहर समाप्त हो गई है। ऐसी अवस्था में जब जनजाति के सुधारकों की चर्चा चलती है तब हमें उन्हें मुख्यधारा में लाने की बात करनी होती है उदाहरण के लिए गोविन्द गुरु ने एक ओर जहाँ जनजातियों से कहा कि वे शराब पीना बंद कर दें वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जनजातियों को अपनी संस्कृति को बनाये रखते हुए भीली राज्य बनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इन समाज सुधारकों के मन में एक

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

बात बैठी हुई थी कि यदि परिवर्तन का दौर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जनजाति की संस्कृति यानी उनकी बोली, उनके रीति-रिवाज और उनकी परम्परा समाप्त हो जायेगी। समाज सुधारकों के सामने बहुत बड़ा विषय यह था कि किस भाँति भीलों की पहचान बनाये रखी जा सकती है। देखा जाये तो आज विभिन्न जातियों के सामने बहुत बड़ी समस्या उनकी पहचान को बनाये रखने की है। भील इसके अपवाद नहीं है परिवार को देख ही लीजिए पहले जनजाति का परिवार ब्राह्मण और बनियों से जुदा था आज इस परिवर्तन के दौर में अब उनमें भी उ विवाह परिवार आने लग गये हैं बात यह है कि बहुपत्नि विवाह के लिए वधु-मूल्य चाहिए। आज लड़कियों पढ़ने लिखने लग गयी है, नौकरी करने लग गयी है ऐसीस्थिति मे वधु-मूल्य बढ़ गया है अब बहु पत्नि को रखना आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगा है ये कुछ आर्थिक मसले हैं जिन पर समाज सुधारकों को ध्यान देना आवश्यक है।

संविधान ने जो आरक्षण जनजातियों को दिया है इसका उद्देश्य यह था कि देश के अन्य नागरिकों के बराबर उन्हें लाया जाये। शुरु में यह आरक्षण दिया गया तब इसका गैर जनजातियों ने बड़ा विरोध किया लेकिन इसके पिछे उद्देश्य यह था कि देश के अन्य नागरिकों को आगे बढ़ाया जाये तथा जनजातियों को विशेष सुविधायें देकर आगे लाना चाहिए। एक ही देश के नागरिकों के दो भाग्य नहीं हो सकते एक समूह तो अच्छी अवस्था में रहे और दूसरा समूह खस्ता हालत में रहे। इसी कारण यह तय किया गया कि जनजातियों का एकीकरण कर सम्पूर्ण भारतीय समाज के साथ में हो जाये इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जनजातियों को ब्राह्मण बना दिया जाये या क्षत्रिय कर दिया जाये। जहाँ तक नागरिकों का सवाल है। जनजातियों को अन्य नागरिकों के बराबर लाना चाहिए।

एकीकरण की प्रक्रिया में जनजाति की दूसरी पहचान विवाह-विच्छेद है जैसे – हिन्दुओं में विवाह को एक धार्मिक क्रिया मानते हैं जनजाति ऐसा नहीं समझते यह तो समझौता है। इसी कारण हम ऐसा समझते हैं कि जनजाति की परम्परायें गैर जनजाति से भिन्न है, पहनने, खाने,

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

और रहने में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन ये परम्परायें सामान्यतया बदलती नहीं हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि जनजाति गैर जनजाति की तुलना में अपने आपको पृथक समझते हैं यह पृथकता ही उनकी पहचान को बनाये रखती है यहाँ हम गांवों और शहरों की चर्चा करेंगे चाहे जनजाति शहर में रहे चाहे पढ लिख जाये लेकिन उसकी परम्पराओं में अन्तर नहीं आता जब हम पृथक्करण की बात करते हैं तब हमारा यह कहना है कि लगभग सौ वर्षों से ये जनजाति जंगलों व पहाड़ों में रहते आये हैं इस पृथक्करण ने उनके रीति- रिवाजों और परम्पराओं को बदला नहीं है।

जो भगत आन्दोलन जनजाति में चला था इसने भी इसी उपागम को अपनाया और इसके परिणामस्वरूप भगतों ने मंडली का आयोजन गांव-गांव में कर लिया वैसे भजन मंडली ईश्वर की आराधना में होती है लेकिन इसका उद्देश्य जनजाति को सात्विक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना था। हम ऐसा समझते हैं कि आदिवासियों में पृथक्करण के परिणामस्वरूप जो रीति-रिवाजों में रुढ़िवाद आ गया था उसे तोड़ने का काम या उसके एकीकरण का काम समाज सुधारकों ने किया। हमने समाज सुधारकों को गहराई से समझने का प्रयास किया है कि ये समाज सुधारक जहाँ एक ओर रजनीतिज्ञ थे वहीं वे धार्मिक भी थे उदाहरण के लिए जनजाति वेणेश्वर धाम की आराधना बहुत अधिक करते हैं। वेणेश्वर डूंगरपुर जिले में है और यहाँ तीन नदियाँ मिलती है। तीन नदियाँ इस प्रदेश की मुख्यधारा है। यह एक प्रकार का संगम है मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की जनजातियाँ वेणेश्वर धाम को अपना तीर्थ मानते हैं।

पृथक्करण के कई लाभ जनजातियों को मिल गये हैं अब उनमें स्थानान्तरण होने लग गया है अब वे व्यवस्था की खोज में कस्बे और शहरों में आने लग गये हैं, सरकारी नौकरियाँ करने लग गये हैं। जनजातियों में अध्यापक गिरी करना सामान्य बात है बात यह है की जनजाति गांव, शहर की सुविधाओं से परे दूर-दराज क्षेत्रों में होते हैं उसमें गैर जनजाति

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

अध्यापक रहना पसंद नहीं करते और इसी कारण दक्षिणी राजस्थान में सरकारी स्कूलों में हमें प्रायः जनजाति शिक्षक मिलते हैं। इससे लाभ भी है एक तो जनजाति अपने ही परिचित गांवों में रहते हैं और वे अपने समुदाय को निकटता से जानते हैं। गैर जनजाति शिक्षक जनजाति गांवों में जहाँ तक संभव हो रहना पसंद नहीं करते यहाँ एक विचित्र स्थिति है जनजाति पृथक्करण को जाता है तो ये गांव ऐसे हैं जो केवल जनजातियों को रहने के लिए बने हैं। दक्षिण राजस्थान में समुदायों को दो भागों में बांटा जा सकता है।

दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में तीन प्रमुख प्रक्रियायें चल रही हैं जो परिवर्तन लाती हैं एक प्रक्रिया राजनीतिकरण की है जनजातियों को आरक्षण प्राप्त है शिक्षण संस्थाओं, विधानसभा और संसद में इनके स्थान सुरक्षित है इसी कारण राजनीतिज्ञ इनकी चिन्ता करते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो आर्थिक है पंजीकरण की है अब जनजाति खेती में यंत्रिकरण ले ही आये व मोटरगाड़ी, ऑटो को चलाते हैं। तीसरी प्रक्रिया शिक्षा की है आज जनजाति शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन प्रक्रियाओं को हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं लेकिन इससे पहले वे पृथक्करण में थे उनका वृहद समाज के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था हमने पहले कहा कि ये लंगोटी पहनते थे। शोच करने के बाद पानी का प्रयोग नहीं करते थे। पत्थर और पत्तियों से काम चला लेते थे। यही उनके बर्बर होने का प्रमाण है। इधर दक्षिण राजस्थान में जनजाति चोरी करना और डकैती डालना जानते थे और इसलिए इन्हें प्रायः जेल में जाना पड़ता था। इस बर्बर जीवन से मुक्ति उन्हें तब मिली जब 1950 में उन्हें विकास कार्यक्रमों के दायरे में लाया गया। यह रुचिकर बात है कि जनजातियों के विकास के लिए सामुदायिक विकास, कुशलगढ (बांसवाडा) में सबसे पहले खोले गये यह सारे राजस्थान की बात है ऐसा समझा जाता है कि कुशलगढ और पीपलखूँट जिले की मुख्य धारा से पृथक रहे हैं इसी कारण यहाँ के जनजाति विकसित नहीं हो पाये हैं। इस तरह के बर्बर जीवन को सुधारने के लिए जहाँ राज्य सरकार विकास के लिए पैसा

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

खर्च कर रही थी वहीं पर यह आवश्यक था कि जनजातियों में सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायें।

1950 के दशक में सुधार कार्यक्रम चले कुछ जनजाति और गैर जनजाति इस विकास कार्यक्रम में जुट गये सबसे पहली बार बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर बसे मानगढ पहाड़ी के ऊपर गुजरात की सीमा पर बसे मानगढ पहाड़ी के ऊपर गुजरात मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजाति एकत्रित हुए उनका नेतृत्व गोविन्द गुरु ने किया गोविन्द गुरु जनजातियों में सुधार लाना चाहते थे उन्होंने देखा कि ये जनजाति अन्तर्राज्यीय सीमाओं में रहते हैं और इन्हे एक राज्य में रखा जा सकता है सबसे पहली बार गोविन्द गुरु ने कहा कि जब तक जनजातियों में बर्बरता नहीं जायेगी जब तक उनका एकीकरण नहीं होगा तब तक उनमें सुधार नहीं आयेगा। लंगोटी लगाकर चलना स्त्रियों का अर्द्धनग्न अवस्था में घूमना और चोरी चकारीकरण उनका मुख्य व्यवसाय था उनकी बसावट को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो छितरे गावों की है जिसमें उन्हें हमेशा गांव के अंतिम छोर पर ही रखा गया है। हमने कई गावों का अध्ययन किया है इस सघन गावों में कहीं भी जनजाति गांव के बीच में नहीं रहते। जहाँ गाव का अंतिम छोर है वहीं ये रहते हैं। हमने यह जानना चाहा कि उन्हें गाव के मध्य में क्यों नहीं रहने देते तब जो उत्तर हमें मिले उससे लगता है कि ये जनजाति कभी भी लूटपाट कर सकते हैं और दूसरा यह कि ये खेती-बाड़ी नहीं करते उनका काम खेती में मजदूरी करना होता है। ऐसी अवस्था में प्रारम्भिक वर्षों में जो जमीन उन्हें प्राप्त हुई वह उपजाऊ नहीं थी कई जंगलों को काटकर या जंगलों को जलाकर कृषि भूमि को तैयार किया। ऐसी बर्बर कौम को सुधारना बहुत आवश्यक था एक विचित्र बात यह देखी कि जनजाति में सुधार का काम गैर जनजाति ने ही किया और इसलिए हमें अपने इस अध्ययन के बिन्दु को यह जानने की कोशिश की है कि जनजाति में सुधार का कार्यक्रम स्वयं जनजाति ने क्यों नहीं किया। इनके बहुत बड़े नेता मामा बालेश्वर दयाल रहे हैं लेकिन वे स्वयं जनजाति नहीं थे। वे आर्य समाजी थे और जनजाति को

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

आर्य धर्म की सीमाओं में लाना चाहते थे। इनको ज्ञात हुआ कि उन्होंने दोहद (पंचमहल) गुजरात में जनजाति को एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था इस सम्मेलन में उन्होंने जनजातियों को जनेऊ पहनाई कहते हैं कि यह जनेऊ कई क्विण्टलों में थी। मामा बालेश्वर दयाल का विचार था कि जनजातियों का उद्धार इसी पर है कि वे हिन्दु हो जाये जनजाति क्या जातियाँ है या अनुसूचित जनजाति यह विवाद 1931 में नहीं उठा था तब अंग्रेजों ने इस समस्या को हल करते हुए कहा कि बचे वे समूह है जिनमें बाहरी समूहों अर्थात हिन्दु नहीं कहा जा सकता लेकिन जब 1951 में स्वतंत्र भारत पहली जनगणना थी इसमें यह सवाल उठा कि इस समूहों को किस तरह से पहचाना जाये। एक विचारधारा था कि इन्हें हिन्दु जाति में गिना जाये यह सबसे पहली बात है कि 1951 में पहली बार जनजातियों की गिनती नहीं हुई थी। तब हमने जातियों के नाम अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जाति, और विभिन्न धर्मों का उल्लेख किया था वैसे जातियों करी जनगणना 1931 में आखरी हुई थी। 1951 में हमने जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के नाम से पहचानने की कोशिश की थी। अभी 2011 में पुनः देश ने यह किया कि जातियों को जाना जाये या इसके ऊपर मीडियों में कई चर्चाये हुई यह कहा गया कि जातियों को जानने से हमारा राजनीतिक अर्थ है कुछ लोगों यह बात भी कहते हैं कि अनुसंधान कर्ताओ को जातियों का पता लग जायेगा तब वे विकास कार्यों को अधिक अच्छी तरह से कर सकेंगे। हम यहाँ विचार नहीं करना चाहते कि जनजाति हिन्दु है या नहीं। हम तो उन्हें अनुसूचित जनजातियों के नाम से ही जानना चाहते हैं।

जनजातियों को जब देश की मुख्य धारा में लाना है तब हमें इनमें सुधार लाना आवश्यक है इससे पहले गांधीजी, ठक्कर बापा, जप्रकाष नारायण, आदि यह चाहते थे कि जनजातियों में जब तक सुधार नहीं होता हम आजादी की लड़ाई को सफलतापूर्वक नहीं लड़ सकते हैं और इसी कारण जनजाति भी जब मैदानों में आगये गैर जनजातियों इनमें सुधार कार्य किया देश में एकीकरण के लिए या सुधार जनजातियों की मुख्य धारा में लाने के लिए उनमें सुधार आवश्यक

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

है। इसी कारण मामा बालेश्वर दयाल और गोविन्द गुरु ने अपने प्रयत्नों द्वारा जनजातियों में लाने की कोशिश की वास्तविकता यह है कि पहाड़ों और जंगलों में रहने के कारण जनजाति पृथक्करण के शिकार हो गये उनमें कोई भी ऐसा नेतृत्व पैदा नहीं हुआ जो सुधार ला सके। इसी कारण कभी हम जनजातियों के आन्दोलन की चर्चा करते हैं, उनमें सुधार की बात करते हैं, उनमें नेतृत्व का काम देखते हैं तो ज्ञात होता है कि यह नेतृत्व उनके अन्दर से पैदा नहीं हुआ है गैर जनजातियों ने ही जनजाति में सुधार के काम को किया है।

यह कहना भी गलत होगा कि जनजातियों में धर्म सुधार का काम इन नेताओं ने किया है। देखा जाये तो जब जनगणना में सवाल आया, जिसका हमने पहले उल्लेख किया है तब कहा गया कि इनके धर्म को हिन्दु नहीं लिखा जाये। तब सरकार और मानवशास्त्रियों ने सुझाया कि इनके धर्म के आगे जनजाति धर्म लिखा जाये। यह लिखा तो गया लेकिन सवाल यह उठता है कि जनजाति का धर्म कौनसा है इस विषय पर जनगणना मौन है वास्तविकता यह है कि जनजाति एक ऐसा समुदाय है जो सभी धर्मों में विश्वास करता है कुछ जनजातियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है तो कुछ ने इस्लाम को अपनाया है और कुछ ने जैन धर्म को ऐसे जनजाति भी हैं जो सभी धर्मों को अपनाते हैं ऐसी अवस्था में इन सतों को धर्मगुरु कहना उचित नहीं होगा। वास्तव में ये लोग बर्बर रहे हैं इनका कोई धर्म नहीं रहा है ये लोग अलगाववादी रहे हैं और इस भांति इनमें धर्म सुधार की चर्चा तो नहीं की जा सकती लेकिन यह सुधार किस भांति किया जाये क्या इन्हें राम और कृष्ण की पूजा के लिये कहा जाये। क्या गंगा जल को पवित्र मानने के लिए कहा जाये। यह सब गलत होगा वास्तव में जनजातियों में अगर सुधार होना है। इन्हें देश की मुख्यधारा में लाना होगा। अब प्रश्न उठता है कि देश की मुख्यधारा कौनसी हैं सामान्य बातचीत में लोग यह कहते हैं कि हम सब को मुख्यधारा में आना होगा जब हम मुख्यधारा में आ जायेंगे तब हम सब देश के समान नागरिक हो जायेंगे।

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

वास्तव में पृथक्करण के कारण जनजाति देश की मुख्यधारा से पृथक रहे है और इस कारण सभ्यता का जो स्वर उनमें आना चाहिए वह नहीं है। यह सब होते हुए भी कुछ विशेष बातें जनजातियों के साथ रही है पृथक्करण तो उनमें था ही लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव भी था और आवागमन के साधनों के बिना वे से कटे मुख्यधारा हुए थे ऐसी अवस्था में अब उनके लिए यह लालसा तो थी कि वे मुख्यधारा में आये प्रजातंत्र की राजनीति में भाग लेवें, पूँजीवाद का लाभ उठाये, शिक्षा तथा यंत्रिकरण को अपनाये उन्होंने यह समझ लिया कि उनमें जो पिछडापन है, जो बर्बरता है जो बहु पनि विवाह है वह सब कुरीतियाँ दूर हो जाना चाहिए उन्हें भी शिक्षा के माध्यम से अपने आपको आगे बढना चाहिए ऐसे पिछडे वर्ग में सुधार कर काम धर्म के माध्यम से हो सकता है इस बात को सुधारको ने अच्छी तरह समझ लिया था। मामा बालेश्वर दयाल मूलतः आर्य समाजी थे लेकिन वे चाहते थे कि धर्म माध्यम से जनजातियों में सुधार लाना चाहिए मामा बालेश्वर दयाल भील स्त्रियों के भाई थे ओर सभी पुरुषों के लिए वे मामा थे। वास्तव में उनका नाम बालेश्वर था लेकिन जनजातियों ने उन्हें मामा बना दिया। यहाँ एक बात और कहनी चाहिए और वह यह कि जनजातियों में नातेदारी बहुत बडा जुडाव है जब एक बार कोई व्यक्ति नातेदार बन जाता है तब जनजाति उसे जीवनपर्यन्त अपना नातेदार मानता है।

भारत के अछूत की सबसे बडी समस्या यह है कि अछूत की तरह पैदा हुए है और उनकी मुक्ति नहीं हैं यह अस्पृ यता जन्म से है क्योकि वे अछूत परिवार में पैदा हुए है इसलिए वे अछूत हैं उनमें कोई ऐसे शारीरिक लक्षण नहीं है जिनके आधार पर उन्हें अछूत कहा जाये उनका जन्म ही उन्हें अछूत बना देता है गांधीजी ने अस्पृश्यता पर बहुत काम किया है उन्होंने इस अछूतों को हरिजन बताया है मतलब हुआ वे भगवान के आदमी है इन्हें अछूत नहीं कहा जा सकता। अम्बेडकर स्वयं अछूत जाति के थे वे संविधान के पुरोधा थे भारतीय संविधान को बनाने का उनका जो योगदान है उसका कोई मुकाबला नहीं आज भी भारतीय संसद के परिसर में अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है कहने वालो का तो कहना है कि अम्बेडकर गांधीजी

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 3, March 2019

के समकक्ष थे उन्होंने महात्मा का दर्जा इसलिए नहीं मिला कि हिन्दु समाज ने उन्हें अछूत घोषित कर दिया और कोई भी अछूत महात्मा नहीं हो सकता। इधर जनजातियों की समस्या जिन पर यह अध्ययन केन्द्रित है। पृथक्करण की है छुआछूत से इनका कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये समाज की मुख्यधारा से पृथक रहे हैं।

सन्दर्भ सूची –

- 1 जनजातिय भारत – नदीम हसनैन, जवाहर पब्लि र्स एण्ड डिस्ट्रीबूटर्स
नई दिल्ली छठा संस्करण
- 2 भारत की जनजातियाँ – डॉ. विजय कुमार तिवाडी हिमालया पब्लि ांग हाउस
दिल्ली नागपुर मुम्बई
- 3 भारत में सामाजिक आन्दोलन – बी.एन. सिंह जनमेजय सिंह
- 4 भास्कर पत्रिका
- 5 समाचार जगत